न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024 / 497
मुकदमा नम्बर 174 / 2024

दर्ज दिनांक– 06.11.2024

ताराचन्द पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी देवगॉव गोठडा ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री संदीप सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 03.02.2025**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा की सरहद में भूमि खसरा नं. 594 / 560 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 597 / 592 रकबा 0.32 है0 खाता सं. नया 1 पुराना 1 अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 596 / 592 रकबा 0.0150 है0 में बारानी प्रथम की बजाय गै. मु. रास्ता के रूप में दर्ज की जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित । तहसीलदार नवलगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. / 24 / 6007 दिनांक 16.01.2025 पेश हुई जिसके अनुसार किस्म गै.मु. रास्ता किया जाना उचित बताया है। बहस वकील आवेदक द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से आवेदक का प्रा. पत्र बाबत् दुरुस्ती साबित है। जिसके अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा की सरहद में भूमि खसरा नं. 594 / 560 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 597 / 592 रकबा 0.32 है0 खाता सं. नया 1 पुराना 1 अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 596 / 592 रकबा 0.0150 है0 में बारानी प्रथम की बजाय गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय / आदेश आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू